



- 1



				कालिंदी विहार नरायच आगरा		
43	प्रियंका	श्री प्रमोद कुमार	अनुसूचित जाति	22/32 नीम दरवाजा धुलिया गंज आगरा	उमेश	श्री मोती लाल
44	कुमारी इंदु	श्री प्रकाश सिंह	अनुसूचित जाति	49/13 ग्यासपुरा शाहगंज आगरा	अरुन कुमार	श्री मेन्ः कुमार
45	सपना	स्व० श्री मोहर सिंह	अनुसूचित जाति	नरीपुरा खेरिया मोड आगरा	राहुल कैम	श्री गणेश

उक्त समस्त कन्याओं का विस्तृत विवरण का चार्ट पत्रावली के दाहिनी ओर अवलोकनार्थ संलग्न है।

मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक-C-302/स०क०/मु०सा०वि०यो०/बैठक कार्यवृत्त/2022-23 दिनांक 24.05.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 10.06.2022 को सम्पन्न हुये 45 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अन्तर्गत विवाह की व्यवस्था एवं अनुदान की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आपेक्षित है।

क्र०सं	विवाह आयोजन कराये जाने वाली संस्था/समिति का नाम	निधारित कार्य का विवरण	कुल सैट	निर्धारित मूल्य	योग
0					
1	विवाह आयोजन हेतु भोजन/ पण्डाल इत्यादि की व्यवस्था मै० चेतना सेवा समिति (रजि०) आगरा	पण्डाल, भोजन, शादी की अन्य व्यवस्थाएँ	45	रु०-6000/-	2,70,000/-
2	नगर निगम आगरा द्वारा सीधे कन्या के खाते में प्रेषित की जाने वाली धनराशि।	प्रति कन्या के खाते में दी जाने वाली धनराशि	45	रु०-35000/-	15,75,000/-
		योग			18,45,000/-

कृपया उपरोक्तानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ संस्था एवं कन्याओं को दी जाने वाली धनराशि के भुगतान की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

SK (S)
4417 लिमिटेड
राजेश्वरी
13/7/22

1
19-7-22
NA

22/07/22

22/07/22
NA

18	पूजा दिवाकर	श्री शिवम दिवाकर	पिछड़ी जाति	तेजनगर कमला नगर आगरा	रोहन	श्री कमल सिंह
19	दुर्गेश कुमारी	श्री देवी सिंह	अनुसूचित जाति	बेसिक प्राईमरी पाठशाला नरायच आगरा	बॉबी	श्री तुलाराम
20	सुमन	स्व० श्री पूरनचन्द	अनुसूचित जाति	12/36 नखासा खटीकपाड़ा आगरा	करुआ कुमार	श्री डोरीलाल
21	लिप्पी	श्री अनिल	अनुसूचित जाति	11/138 खटीक पाड़ा रघुनाथ टाकीज आगरा	अमित बंसवाल	श्री चन्द्रभान
22	भारती	श्री ओम प्रकाश	अनुसूचित जाति	39/228 वी कारवान आगरा	राजेश माहोर	श्री भगवान सिंह
23	भारती	स्व० श्री मुन्नालाल	अनुसूचित जाति	25/146 पटेल नगर जीवनीमण्डी आगरा	उदय सिंह	श्री तुकमान सिंह
24	ज्योति कुमारी	श्री अर्जुन सिंह	अनुसूचित जाति	9/4 मोतीबाग यमुना ब्रिज आगरा	टीटू	श्री कालीचरन
25	अंजली	स्व० श्री जगदीश	अनुसूचित जाति	26/291 बाड़ा चरन सिंह गोकुलपुरा आगरा	भोला	श्री श्रवण सिंह
26	लक्ष्मी	स्व० श्री हरी	अनुसूचित जाति	शारदा विहार फैंस-3 समर वाली गली बोदला आगरा	कपिल	स्व० श्री चुन्ना
27	माया कुमारी	श्री कलुआराम	अनुसूचित जाति	बुन्दुकटरा आगरा	कमल दीप	श्री हाकिम सिंह
28	आशु कुमारी	स्व० श्री रामखिलाडी	पिछड़ी जाति	35/165नगला भावानी सिंह बुन्दुकटरा आगरा	अरविन्द	श्री दयालसरन
29	निशा कुमारी	श्री प्रेम सिंह कुशवाह	पिछड़ी जाति	देवरी रोड नगला भावानी आगरा	विष्णू कुशवाह	श्री रमेशचन्द
30	शाहना	स्व० श्री मुईन	अल्पसंख्यक	48/17वी, खतेना, लोहामण्डी, आगरा	नाजिम	श्री अब्दुल वाहिद
31	विनीता सागर	स्व० श्री दिनेश सागर	अनुसूचित जाति	18/109, गंगाराम का नगला, आगरा	विश्वजीत	श्री महेन्द्र कुमार
32	सिमरन	श्री चीना	अल्पसंख्यक	23/319, वजीरपुरा, सिविल लार्डन, आगरा	रियाज	श्री रियासत
33	निम्मी कुशवाह	श्री राम कुशवाह	पिछड़ी जाति	37/126 बुन्दुकटरा आगरा	लोकेश	श्री राम बाबू
34	मोनिका कुमारी	स्व० श्री छितर सिंह	अनुसूचित जाति	भीम नगर, कोटली बगीची, देवरी रोड आगरा	प्रविन सागर	श्री व्हीरेम सेन
35	रुबी	श्री राजकुमार	अनुसूचित जाति	140 गोतम नगर देवरी रोड आगरा	हेमन्त सिंह	श्री प्रताप सिंह
36	सुमन	श्री राजकुमार	अनुसूचित जाति	140 गोतम नगर देवरी रोड आगरा	सन्नी	श्री हरी चन्द
37	रेनू कुमारी	स्व० श्री शंकर लाल	अनुसूचित जाति	भीम नगर, कोटली बगीची, देवरी रोड आगरा	गौरव	श्री वीरेन्द्र सिंह
38	मोहिनी कुमारी	श्री राजेन्द्र	अनुसूचित जाति	23, शारदा विहार, बोदला आगरा	सूरज कुमार	स्व० श्री अमर चन्द
39	पूजा	श्री घनश्याम शर्मा	सामान्य	19/1, न्यू ख्वासपुरा, खेरिया मोड़, आगरा	मोहित कुमार	श्री नीटू शर्मा
40	जशोदा कुशवाह	श्री रविन्दर कुशवाह	पिछड़ी जाति	2/125, सुन्दरपाड़ा, आगरा	छोटू	श्री प्रेम सिंह
41	प्रियंका कुमारी	श्री किशन सिंह	अनुसूचित जाति	178 सिद्धार्थ नगर नरायच आगरा	सागर	श्री भीमसेन
42	बुलबुल	स्व० श्री अशोक	पिछड़ी जाति	4/15 काशी राम योजना 100 फुटा	सोनू जैन	श्री सर्वेन्द्र जैन

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

महोदय,

कृपया मा० मुख्यमन्त्री जी सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत मै० चेतना सेवा समिति (रजि०) आगरा एवं सीधे विभाग में प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष स्थलीय जाँच में उपयुक्त पाये गये अनुमानित 45 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा के पत्रांक-सी.190/स०क०/विकास/मु०सा०वि०/2022-23 दिनांक 18.05.2022 के अनुसार दिनांक 10.06.2022 को माथुर वैश्य भवन पंचकुर्इया आगरा में आयोजित किये जाने हेतु नगर आयुक्त महोदय के पत्रांक-263/D/NSA/22 दिनांक 07.06.2022 को जिलाधिकारी महोदय, आगरा को पत्र प्रेषित किया गया, जिसकी प्रति एस०एस०पी०, सी०डी०ओ० के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं मै० चेतना सेवा समिति (रजि०) को प्रेषित किया गया।

उपरोक्त के अनुपालन में कुल 45 जोड़ों का सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम माथुर वैश्य भवन पंचकुर्इया आगरा मै० चेतना सेवा समिति (रजि०) द्वारा विभागीय कर्मियों की उपस्थिति में विधिवत रूप से सम्पन्न कराया गया, जिनका विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

क०सं०	लाभार्थी (कन्या) का नाम	पिता का नाम	जाति	पता	वर का नाम	पिता का नाम
1	अपर्णा सिंह	श्री मुकेश सिंह	अनुसूचित जाति	चर्चरोड सिकन्दरा आगरा	भूपेन्द्र सिंह	श्री राजवीर सिंह
2	राखी सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	अनुसूचित जाति	भूपालकुन्ज नई आबादी सिकन्दरा आगरा	सुरेन्द्र कुमार	श्री ओमप्रकाश सिंह
3	दिशा	श्री देवेन्द्र	पिछड़ी जाति	बाईपुर सिकन्दरा आगरा	भूपसिंह	श्री अमर सिंह
4	प्रिया	श्री अजीत सिंह	अनुसूचित जाति	बाईपुर सिकन्दरा आगरा	अमर सिंह	श्री राजवीर सिंह
5	राधा	श्री हीरो	पिछड़ी जाति	शास्त्रीपुरम सिकन्दरा आगरा	तोता राम	श्री गज्जो
6	वर्षा	स्व० श्री मोहन लाल	पिछड़ी जाति	37/361 नगला पदी दयालबाग आगरा	मनोज	श्री अशोक कुमार
7	कंचन	श्री दिनेश कुमार	पिछड़ी जाति	37/219 अमृतपुरी बुन्दूकटरा आगरा	भोलू	श्री ओमवीर
8	संजना	श्री गिरीश वरुण	अनुसूचित जाति	27/37 अशोक नगर आगरा	राजू कुमार	स्व० श्री हुकम सिंह
9	दीप्ती कुशावाह	श्री राकेश	पिछड़ी जाति	60/115 ख्वासपुरा आगरा	डीलेश कुमार	श्री राकेश सिंह
10	कुमारी लवली	स्व० श्री वासुदेव	पिछड़ी जाति	35/13 नगला भवानीसिंह देवरी रोड आगरा	दीपू	श्री राम
11	चंचल	श्री भीकम सिंह	पिछड़ी जाति	37/196 बुन्दूकटरा ग्वालियर रोड आगरा	जितेन्द्र कुमार	श्री संतोला
12	रिंकी कुमारी	श्री मोहन सिंह	पिछड़ी जाति	15 अमृतपुरी बुन्दूकटरा आगरा	जितेन्द्र सिंह	श्री भूपसिंह
13	हेमा कुमारी	श्री रमेश चन्द	पिछड़ी जाति	35/204 नगला भवानी सिंह बुन्दूकटरा आगरा	आजाद	श्री धाराजीत
14	सुनिता	श्री ओम प्रकाश	अनुसूचित जाति	39/228 वी कारबान आगरा	सुनील कुमार	श्री राम सिंह
15	संजना	श्री राजू	अनुसूचित जाति	धौधूपुरा, ताजगंज आगरा	सुभाष	श्री जगन सिंह
16	मुस्कान	स्व० श्री सुनील	पिछड़ी जाति	876 आगरा कैण्ट आगरा	संजीव कुमार	श्री रामबाबू
17	टीना	श्री विनोद कुमार	पिछड़ी जाति	46/98 टेलीफोन कॉलोनी भीमनगर आगरा	मिथुन	स्व० श्री मुरारीलाल

समाप्त कल्याण विभाग एवं चेन्नई सार (हिंदी) एचए कॉम्प्लेक्स,
 कार्मिक, अणुकार (कार्मिक) के विभाग / समाप्त कर कार्य
 नगर आयुक्त प्रत्यक्ष के आदेश दि. 19.5.22 के अंतर्गत
 में 250 (म) की वयस तक में जति निगम के कार्मिकों
 की विभागीय सचिव द्वारा करार पत्रों पर प्रशासनिक/वित्तीय
 स्थिति वर्णित है,
 सुधार लानुसार पदाधिकार का प्राप्त आवेदन, अनुभव
 ए संशोधन प्रस्ताव की

do
 7/6/22

do
 07-06-22
 NA

do
 7/6/22
 NA

ANM Su

सूचना मा सुदुर्घटना सांख्यिक विवाह योजनाओं के विवाह हेतु
 दिनांक 7.6.22 तक कुल 74 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, इनमें से
 संतोषिता वरि के SF1/CSF1 के निरीक्षणोपरान्त (35) अर्थात्
 अल्पवयस्की / कन्याओं के आवेदन पत्र पात्र पाये गये हैं, तथा
 18 आवेदन पत्र अर्थात् जो-न उचित नही है। समाप्त कल्याण विभाग द्वारा
 नया नियम क्रियाएं से 45 फीसदी अर्थात् वरि लक्ष्य निर्धारित
 विवाह गारंटी है। तथा इन अर्थात् हेतु दर 10/6/22 अर्थात् वरि
 निर्धारित की गयी है। अल्पवयस्की के निरीक्षणोपरान्त
 दिनांक 10.6.22 को माधुर वैश्य शर्मा, पंचकुल्या, क्रियाएं के
 विवाह आयोजन समिति अर्थात् चित्त हर मंडल (रजि.)
 क्रियाएं द्वारा अर्थात् पंचकुल्या / अल्पवयस्की / पिलायुक्त / पिलायुक्त
 कल्याण अर्थात् के अंत में वरि अर्थात् के अंत में
 निरीक्षणोपरान्त एवं विनीत अर्थात् अर्थात् है।

- (1) समाप्त कल्याण विभाग, क्रियाएं द्वारा विवाह समिति तथा विवाह समिति
 समिति प्रदान की जायेगी - ₹-10,000/- प्रति फीस।
- (2) विवाह आयोजन समिति - अल्पवयस्की समिति (रजि.) (रजि.), क्रियाएं
 द्वारा अर्थात् अर्थात् अल्पवयस्की के निरीक्षणोपरान्त अर्थात् पंचकुल्या
 ₹-6000/- प्रति फीस।
- (3) पंचकुल्या अर्थात् 45 कन्याओं अर्थात् विवाह अर्थात्
 अर्थात् अर्थात् ₹-35,000/- अर्थात् अर्थात् अर्थात्

नगर स्वास्थ्य अधिकारी व्याप्तित्व रूप से
समाज कल्याण अधिकारी से मिलकर इस
सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित
करायें।



03/06/22

A.M.C.

विशेष जानकारी यहाँ भी उपलब्ध है।

संस्था चयन हेतु उपरोक्त विषय संबंधित आवेदन हेतु
लिपिबद्ध संकेत की कमी जाति भी पर्याप्त है।
संस्था चयन हेतु इच्छितियों की ~~कमी~~ के अभाव
में ~~उपरोक्त~~ 10th June 21
लिपि लिखित है।

31-5-22
SKC

01.06.22
HSA

ANA महोदय

संस्था चयन हेतु स्वीकृति अपेक्षित है

02.06.22
HSA

N.S.A

उक्त सम्बन्ध में नगर आयुक्त
महोदय द्वारा प्रभाव पर निर्देश प्राप्त किए
गये। नगर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गये
हैं कि लक्ष्य के सापेक्ष ही विवाह सम्पन्न कराए
जायें यदि समाज कल्याण आधिकारी द्वारा
लक्ष्य से अधिक जोड़ों की अनुमति प्रदान की
जाती है तो N.S.A तदनुसार अतिरिक्त जोड़ों के
लिए भी नियमानुसार कार्यवाही की जाए सम्बन्ध
में यदि कोई और संस्था प्रतिभाग करा
पाहती है तो उसे अन्य आगाभी विवाह
कार्यक्रम में अवकाश प्रदान किया जाय।

अनुभव के लिए रिपोर्ट 28/5/22 को नया काम लीडर
20/5/22 को लगाना वाले में संपूर्ण निदेशानुसार
संस्था के चयन हेतु मिला हुआ (काम करवाकर उद्दिष्ट)
को जेफ को वाले पत्र पर आगे आगे आगे आगे नया
इन्फोर्म की रूप में दस्तावेज प्राप्त है

20/5/22

21.05.22
25/5

NSA / ANA मंडल

दुपथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्र सं- 337/सो 50/
मु 500 वि.सो/2022-23 dt 31.5.22 का संदर्भ ग्रहण मैं का काम
करें। मुख्यमंत्री साक्षर विवाह योजना के अंतर्गत विवाह के आयोजन हेतु
संस्था के चयन के लक्ष्य में विभाग द्वारा पत्र सं- 225/D/NSA/22-23
dt 31.5.22, जिला समाज कल्याण अधिकारी के अधिनियम द्वारा
लिखित ठाम में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विवरण सं-
गथा सं- 16/2017/44 VJP/26-3-2017-4
(188)/93 TC dt 12.10.17 के प्रस्तर 'रक' के अनुसार
विवाह के आयोजन हेतु संबंधित विवाह एवं पत्र "विवाह आयोजन
समिति" आदि की मांगों को विवाह आयोजन की लक्ष्य
व्यतिरिक्त तथा संस्था का चयन करेंगी।

दुपथा चेतना सेवा समिति (रजि.) एवं अस्था के लक्ष्य
संस्थाओं में से किसी एक संस्था के चयन तथा विवाह आयोजन
के आयोजन / प्रचार प्रसार / मा.सो.सं. / विधायक / पत्र प्रतिनिधियों उपायों को
आयोजन हेतु अधिकारियों की समिति के गठन हेतु

NSA ANA

इस बात पर कि नाक अंगुलि मरोख की लीक
के 19.5.22 के अव में प्रथम 2 मंत्रों का कमेटर
अनुमोदन / एकराज्य प्रत्यक्ष है।

21/5/22

21.05.22
NSA

23/05/22
AMC.

NSA मरोख

कृपया जिला समाप्त कल्याण इण्डिया के
पत्र - C-270/का 30/दिनांक 19.5.22/सूचना /
2022-23 दिनांक 19.5.22 द्वारा प्रकाशित सूचना
विषय में समाप्त-समाप्त 45 कोटी के बिना का एकरा
अनुमोदन 10 June 22 की तारीख
तक प्राप्त है।

कार्य दिनांक - 30/5/22 तक निम्न
संख्याओं का समाप्त-समाप्त के द्वारा समाप्त है।

- ① चेन्ना रेखा समाप्त (रहित) - 36
- ② अलका विलेज समाप्त (रहित) - 27

उपर्युक्त समाप्त-समाप्त की को बिना 250(म) के समाप्त के अंतर्गत समाप्त की
शेखा का प्रारंभ है।

अनुमोदन 10 June 22 की तारीख
संख्याओं का समाप्त-समाप्त समाप्त का
विषय में समाप्त-समाप्त का प्रारंभ है।
समाप्त-समाप्त का प्रारंभ है। 10 June 22 की
तारीख तक प्राप्त है।

PTD

(iii) Page 2

क्रि. सं. - 8 (vi) के अनुसार सामूहिक विवाह के आयोजन की व्यवस्था हेतु प्रति पति-6000/- की धनराशि निर्धारित है जो व्यय की जाती है,

क्रि. सं. - 8 (vii) Page 3 के अनुसार दिनांक 07.5.2022 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद के माठ विवाहकुशल/माठ शोखद गठ एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जात है।

उपरोक्त उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही हेतु श्री श्री श्री, निम्नानुसार कक्षों की स्वीकृति, आपूर्ति है।

- (1) 250 (मुख्यालय)
- (2) श्री सुनील कुमार वशिष्ठ / श्री सुकेत शर्मा (कनिष्ठ लिपिक)
- (3) श्री अनिल कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक
- (4) श्री नरेश सिंह कनिष्ठ लिपिक
- (5) श्री शालिनी कनिष्ठ लिपिक,

उपरोक्त उपरोक्तानुसार प्रथम-2 स्वीकृति, प्रत्येक एक हेतु पदावली अनुमोदित है।

19/5/22
y. k. Jaiswal

19.05.22
Amc.

प्रथम/प्रमाद
स्वीकृत

y. k. Jaiswal
NSA

आगरा नगर निगम, आगरा

टीपें और आज्ञाएँ

पृष्ठ सं०

MISA

ग्रामा जिल्लाधिकारी प्रहोदय के पत्र सं- ९-२३६/स० ५०/ मु० सा० वि० ५०/२०२१-२२, जो कि "मुरखंडी सामूहिक विवाह योजना" अर्थात् की प्रेरणा अनुक्रम क्रि० का चयन कर दिनांक २७-५-२०२२ को सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत में है।

उपरोक्त पत्र के किन्तु सं- ३ के अनुसार नगर निगम, आगरा से १७ सामूहिक विवाह का लक्ष्य रियाज गय है।

संस्थान विभाग से उक्त कार्य हेतु कुल ३१ लाख के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसकी अलग अलग विवरण निम्न अनुसार विभागीय पो-प हेतु २८० (म) से दिनांक ११-५-२२ एवं दिनांक १७-५-२२ से प्राप्त कराये जा चुके हैं।

उक्त पत्र के किन्तु सं० ४ (ख) के अनुसार योजना क्रि० १७ - चयनित पो-पों से रु-१०,०००/- प्रत्येक के अनुसार अंतर् की पो-पों वाली आवासीय (समिति) (यथा- कपड़, वस्त्र, चांदी की पापल, किन्तु (का, मोबाइल, सुगर उल्लारि) की दर सामुदायिक सं- १६१/२०१७/५५ की आई पी०/२६-३-२०१७-४ (१८८)/९३ सी सी दिनांक १२ अक्ट. २०१७ के किन्तु संख्या (इ) के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित उप समिति द्वारा लिये जाने वाले निर्वाचन अनुसार Gem Postal / E-tend के माध्यम से उभय किया जाना है। यह कार्यवाही समाप्त कल्याण विभाग द्वारा ही किया जाना उचित होगा।